



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 402 वर्ष 2026

राधेश्याम चौहा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मुनिब सिंह चौहान

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री मुनिब सिंह चौहान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, और श्री प्रशांत कुमार मिश्र, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, जो राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर उपस्थित हैं, को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें दिनांक 07.04.1985 को अंशकालिक नलकूप संचालक के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 10.03.1998 को नियमित किया गया। रिट याचिकाकर्ता ज़िलेदार के पद पर पदोन्नति का दावा करते हैं। रिट याचिकाकर्ता ने पूर्व में इस न्यायालय का सहारा लिया था और रिट-ए संख्या 6760 वर्ष 2025 में वेतन वृद्धि और वेतन के बकाया भुगतान के लिए याचिका प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त, रिट याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि दिनांक 31.07.2025 से वे कार्यकारी सिंचाई अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। रिट याचिकाकर्ता उन दो रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति का दावा कर रहे हैं।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाए कि वे रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता का दावा, प्रारंभ में, तृतीय प्रत्यर्थी, कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, (नलकूप खंड), मौ, जिला मौ, द्वारा निर्णयार्थ विचार किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस प्रस्तुति पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई और इसे अनुग्रहपूर्वक स्वीकार किया।
6. प्रतिवादी पक्षों की दलीलों और उनके रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है और याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह तृतीय प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की स्वयं प्रमाणीकरण प्रति सहित एक व्यापक प्रतिनिवेदन प्रस्तुत करे। तृतीय प्रत्यर्थी को उक्त प्रतिनिवेदन प्राप्त होने के पश्चात दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय विधि के अनुसार, प्रमाणित आदेश की प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो माह की अवधि में, करना होगा। यदि तृतीय प्रत्यर्थी का यह मत है कि प्रकरण किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्णयार्थ किया जाना चाहिए, तो अभिलेख संबंधित प्राधिकरण को प्रेषित कर दिए जाएंगे।
7. यह याचिकाकर्ता के लिए खुला है कि वह अन्य भत्तों के भुगतान हेतु भी अनुरोध प्रस्तुत कर सके।
8. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं कि रिट याचिका का निर्णय प्रत्यर्थियों से कोई उत्तर प्राप्त किए बिना किया गया है। अतः इस आदेश का पारित होना यह अभिप्राय नहीं माना जाएगा कि इस न्यायालय ने प्रकरण की विषयवस्तु पर कोई निर्णय लिया है।
9. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

16 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति माननीय विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।